

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

सहायक कलक्टर  
(SPO) बायबु

मुकाम

दुदराम

बनाम

मदरपाराम वीरडा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111, 128 RLR नं 43/2022 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/02/2022	<p>प्राथी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>लगरीश गोदार</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLR</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्राथी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>28/02/22</u> को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर (SPO) बायबु</p> <p>प्राथी वकील उपस्थित। विप्राथीगण के नोटिस तामिल हुआ प्राप्त जिसे तामिल पत्रावली विप्रा गण। विप्राथीगण वाकजुड तामिल अनुपस्थित। -माध्याह्न समय तीन बजे कोवाज लगाई गई इन्तिस कोवाज 5:45 pm पर लगाई गई विप्राथीगण स्वयं या उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता या अभिभावक उपस्थित नहीं हुआ जिहाजा विप्राथीगणों के चिरुच्च एडवरका इतिहादी ममल में लाई जाली है दिनां: वास्ते बरत पत्रावली दिनांक- 23/03/2022 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर (SPO) बायबु</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

23/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर  
(S.D.O) वायसु

न्यायालय  
2022/163  
प्रार्थी

महाराष्ट्र सरकार  
अहमदनगर जिल्हा  
हक्कम को.  
जाती

राजस्थान-सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2022/163

दिनांक:-23/3/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. दुदाराम पुत्र उमाराम,  
जाति जाट, निवासी बेरी नाडी,  
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,  
तहसील गिडा (बाडमेर)


1. मदरूपाराम पुत्र मंगलाराम वगैरा 06,  
जाति जाट, निवासी बेरी नाडी,  
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,  
तहसील गिडा (बाडमेर)

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 43/2022

#### आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - बेरी नाडी, पटवार मण्डल - सवाऊ पदमसिंह, तहसील - गिडा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 504/31, 506/31 रकबा क्रमशः 2.3795, 1.8939 हैक्टर एवं मौजा - मेघवालों की ढाणी, पटवार मण्डल - सोहड़ा, तहसील - गिडा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 255 रकबा 5.3823 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद/2022/164-168

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का सवाऊ पदमसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री दुदाराम पुत्र उमाराम,
4. विप्रार्थी श्री मदरूपाराम पुत्र मंगलाराम वगैरा 06,
5. पुलिस थानाधिकारी गिडा।

(जगदीश सिंह आशिया)

(SDO) बायतु

दिनांक:-

सहायक सहायक  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
(SDO) बायतु